अनुसूची 14-फारम सं० 562

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० .... से .... तक

जिला गढ़वा सं० 15 सन् 2015-16

केस का प्रकार CNT Act की धारा 46 के तहत अ०ज०जा० की भूमि बिक्री हेतु परमिशन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20-6-2015.	आवेदक विक्रेता कैलाश सिंह पिता स्व० रामजीत सिंह ग्राम+पो० टेंडवा थाना रमना जिला-गढ़वा राज्य झारखण्ड ने आवेदन पत्र देकर अपनी निम्नांकित भूमि की बिक्री क्रेता प्रभु सिंह पिता सीता खरवार जाति खरवार ग्राम चुन्दी पो० गम्हरिया थाना रमना जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के हाथों बिक्री करने हेतु अनुमति की मांग की है।	

भूमि का विवरण

ग्राम+थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी
चुन्दी 188	61	164	0.09 5/6 डी०	उत्तर- नन्द कुमार साह द०- नगिता सिंह पू०- कच्ची रास्ता प०- अरुज राम को०
	"	286	0.10 5/6 डी०	उत्तर- राजकरण साह द०- कच्ची रास्ता
		290	0.00 1/3 डी०	पू०- शिवकुमार साह प०- डोमन साह
		287	0.00 3/6 डी०	उत्तर- कामेश्वर द० कच्ची रास्ता
		1079	0.03 डी०	पू०- नीज क्रेता प० डोमन साह
		300	0.05 1/3 डी०	उत्तर- कगुली साव द०- मोटा आर पू०- नागेश्वर सिंह प०- रामेश्वर साव
		318	0.05 1/6 डी०	उत्तर- कच्ची रास्ता द०- सुखी साव पू०- कैलाश सिंह प०- राजेश्वर साव
		867	0.02 2/3 डी०	उत्तर- लक्ष्मण साव द० केदार साव
		915	0.12 1/3 डी०	पू०- प्रभु सिंह प० कैलाश सिंह

(लगातार)

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
	ग्राम+थानानं० खाता प्लौट नं० रकबा चौहद्दी	
चुन्दी 188	61 743 0-01 2/3 डी० उत्तर- रामसेवक सिंह द०- कच्ची रास्ता एवं स्कूल पू०- कच्ची रास्ता प०- जानकी साव	
	742 0-00 2/3 डी० उत्तर	
	1193 - 0-36 5/6 डी० उत्तर - नगिना सिंह द०- जगदीश साव	
	1191 0-0 1/3 डी० पू०- जगजीवन प्रजापति प०- भगवान साव	
	996 0-01 डी० उत्तर- मोतीचन्द प्रजापति द०- शिवकुमार साव पू०- तपेश्वरी प्रजापति प०- पूर्जन प्रजापति	
	993 — 0-02 1/6 डी० उत्तर- नागेश्वर सिंह द०- मुकुल साव पू०- करम सिंह प०- वंशी साव	
	15 82 2/3 डी०	
	आम ईस्तहार निर्गत करें एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 15-7-15 ~~20-6-15~~ तक करें।	
	(हस्ताक्षर) भू० सु० उप समाहर्ता, नगर उन्टारी	
22-7-15	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता द्वारा आवेदन पत्र देकर अपने वाद में त्रुटि के चलते वाद को समाप्त करने की ~~अनुमति~~ अनुरोध किया है।	
	अत: आवेदक (विक्रेता) के अनुरोध पर वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।	
	लेखापित / संशोधित (हस्ताक्षर) अनुमंडल पदाधिकारी नगर उँटारी (गढ़वा)	
	(हस्ताक्षर) अनुमंडल पदाधिकारी नगर उँटारी (गढ़वा)	